(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ किन-किन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मामलों पर बातचीत हुई और उसके क्या निष्कर्ष निकले ;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) :(क) तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति 18 से 20 अप्रैल, 1992 तक भारत की यात्रा पर आए थे ।

(ख) से (घ) इस यात्रा के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया था तथा निम्नलिखित 6 करारों पर हस्ताक्षर किए गए :

(i) सहयोग के सिद्धान्तों एवं दिशाओं पर घोषणा ;

(ii) संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञान, पर्यटन, खेलकूद और प्रचार माध्ययों के क्षेत्रों में सहयोग सम्बन्धी करार ;

(iii) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग करार ;

(iv) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग करार ।

(v) राजनयिक संबंधों की स्थापना पर प्रोतोकाल ; तथा

(vi) कोंसली संबंधों की स्थापना पर प्रोतोकोल ।

Complaints of corruption and mig. appropriation in the Civii Construction Wing of Ministry of Information and Broadcasting

588. SHRI SUNDER SINGH BHANDARI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING' be pleased to state:

(a) the number of complaints of corruption and misappropriation received about the working of the civil Construction Wing of his Ministry; and

(b) the number of projects executed by the Wing during the past three years and the number of them found to be defective or unsatisfactory together with the action taken in each case?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (KUMARI GIRIJA VYAS): (a) The number of complaints received and being investigated Departmentally/by the CBI. against the officers of the Civil Construction Wing in respect of alleged irregularities in the construction of buildings is 8;

(b) During the last Three years, i.e., 1989-90, 1990-91 and 1991-92, 279 projects were completed by the Civil Construction Wing all over India. No major defects have been reported. Whenever minor defects are notified, suitable action is being taken for rectification.

Subsidy to industrial units in terrorist affected States

589. DR. BALDEV PRAKASH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a subsidy of 15 per cent was allowed to

new industrial units as an incentive to promote industry in terrorist affected States;

(b) whether one per cent concession on interest was also allowed in that package *of* concesssions to the Punjab trade and industry;

(c) whether these concessions were withdrawn later though the situation remained the same; and

(d) if so, what are the reasons thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUST. RIAL, DEVELOPMENT (SHRI-MATI KRISHNA SAHI): A Central Investment Subsidy varying from 10 to 25 per cent of investment was available to entrepreneurs for setting up industries in the industrially back. ward districts of the country upto 30.9.88.

(b) 1 per cent concession in the rate of interest was being allowed by the Punjab Financial Corporation and the Punjab State Industrial Development Corporation upto 31.3.1992.

(c) The Central Investment Subsidy Scheme was withdrawn with effect from 30.9.88. The concession on interest rate allowed by the Punjab State level institution was withdrawn with effect from 31-3-1992.

(d) Following the introduction of the Growth Centre Scheme, the Central Investment Subsidy Scheme was discontinued all over the country, including Punjab, with effect from 30.9.88.

Concession in the interest rate was dispensed with following rationalisation of the interest rate structure by the Reserve Bank of India.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीमतों को कम किया जाना

590 श्री ईश दत्त यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कीमतों को कम करने में विफल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि, मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर खरीद/समर्थन मूल्यों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जारी की जाने वाली वस्तुओं की लभ्यता तथा अन्य व्यापक आर्थिक कारकों जैसी विभिन्न बातों के कारण होती है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए की जाने वाली आपूर्ति अनुपूरक स्वरूप की होती है और उसका उद्देश्य किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की समूची मांग को पूरा करना नहीं होता । नीति संबंधी हथियार के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आमतौर पर उन वस्तुओं के खुले बाजार मूल्यों पर मंदी का प्रभाव पड़ता है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाती हैं । इसका उद्देश्य प्रमुख आवश्यक वस्तुओं को बाजार मूल्यों से कम दर पर बेचकर जनता के कमजोर वर्गों की वास्तविक क्रय शक्ति की रक्षा करना भी होता है । खरीद/समर्थन मूल्यों तथा आयातित खाद्य तेलों की उतरने तक की लागत में वृद्धि को कम असर करने के लिए, चावल, गेहूं, लेवी चीनी और आयातित खाद्य तेलों के केंद्रीय निर्गम मूल्यों में समय-समय पर समायोजन किया जाता है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं, अर्थात् गेहूं, चावल, लेवी चीनी, खाद्य तेल, मिट्टी के तेल के खुले बाजार मूल्यों में 28-12-